

प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्ट केस , दिनांक 11.11.2011 के अनुसार वन स्वरूप चिह्नित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित घाटमपुर-आगरा 765 kV S/C ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में गैर वानिकी उपयोग के लिए प्रस्तावित 32.8560 है. वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य चिह्नित वनस्वरूप क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
फिरोजाबाद

3
(Uma Shankar Dhore)
Divisional Director

प्रमाणित निदेशक
सोशल फॉरेस्ट्री
फिरोजाबाद
Social Forestry Division, Firozabad